P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-12* August- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न : एक सामाजिक अध्ययन

अंजू शुक्ला
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग,
अकबरपुर महाविद्यालय,
अकबरपुर, कानपुर देहात,
भारत

सारांश

महिला उत्पीड़न की घटनाओं में सबसे वीभत्स रूप पारिवारिक (घरेलू हिंसा) का है। यह हिंसा का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप है, जिसकी जड़े बहुत गहरी हैं। इसके इतिहास को बता पाना अत्यन्त कठिन है। अब तक इसे केवल पारिवारिक कलह के रूप में देखा जाता था, हिंसा के रूप में नहीं। सामाजिक विज्ञानियों एवं इतिहासकारों ने परिवार में होने वाली हिंसा को सामाजिक समस्या के रूप में देखा ही नहीं था। फलतः यह अदृश्य रही क्योंकि घर की चहार दीवारी के अन्दर जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे एक निजी प्रकरण समझा गया जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को एक व्यक्ति के निजी मामलों में दखल की संज्ञा दी गई।

मुस्लिम समाज विघटन अधिनियम 1939 (DMMA) के अधीन क्रूर व्यवहार को हिंसा की श्रेणी में रखा गया है जिसकी परिणति बहुधा तलाक के रूप में देखने को मिलती है। उक्त अधिनियम के अधीन क्रूरता की परिभाषा में ''पत्नी को व्यवहार की क्रूरता द्वारा आदतन प्रताड़ित करना अथवा उसके जीवन को कष्टमय बनाना यद्यपि उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार न किया गया हो, बदनाम औरतों की संगत अथवा बदनाम जिन्दगी गुजारना, पत्नी को अनैतिक जीवन बिताने के लिए विवश करने का प्रयत्न करना, पत्नी की सम्पत्ति को खुर्द बुर्द करना अथवा उसे इस पर उसके कानूनी अधिकार के इस्तेमाल से रोकना तथा पत्नी को उसके धर्म का पालन करने से रोकना आदि शामिल है।''

मुख्य शब्द : नारी शक्ति, मुस्लिम समाज, महिला उत्पीड़न।

प्रस्तावना

नारी को शक्ति का महान भण्डार और परिवार की नींव माना गया है। चूँकि परिवार समुदाय की नींव है और समुदाय राष्ट्र की, अतएव नारी ही समाज व राष्ट्र की नौका की वास्तविक कर्णधार है। परन्तु इस सबके पश्चात् भी व्यावहारिक रूप में नारी की स्थिति ऐसी नहीं रही है। सबसे दुःखद घटना यही है कि आधी मानवता अर्थात् नारी के साथ बहुत अन्याय किया गया है। यदि एक समय वह देवी की तरह पूजित हुई तो दूसरे समय चेरी की भाँति प्रताड़ित भी हुई है। वैधानिक दृष्टि से स्त्रियों को ऊँचा उठाने के लिए चाहे जितने भी कदम उठाये गये हों, व्यावहारिक दृष्टि से उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया तथा उनका तिरस्कार, अपमान व प्रताड़ना अभी होती आ रही है। महिला उत्पीड़न एक सार्वभौमिक प्रघटना है। कोई भी काल, स्थान और परिस्थितियाँ रही हो, प्रत्येक समाज में महिलाओं की स्थिति सदैव दोयम दर्जे की रही है। पुरूष के समक्ष उसे सदैव ही कमजोर एवं निम्न स्तर का माना गया है और यह विश्वास प्रकट किया गया कि उसे सदैव पुरूष के अधीन ही रहना चाहिए। नारी चाहे किसी भी वर्ग, जाति या समाज की रही हो, अनेकानेक आयामों से उसके उत्पीड़न और शोषण को सदैव ही वैध ठहराया गया और एक लम्बे समय तक उसकी स्थिति में सुधार के कोई प्रयास नहीं किए गए। परन्तु यदि हम यहाँ महिला उत्पीड़न की बात करें वह भी मुस्लिम महिलाओं की, तब तो इस बात को सिद्ध करना और भी आसान हो जाता है कि मुस्लिम महिलाओं का भी व्यापक स्तर पर उत्पीड़न हुआ है।

महिला उत्पीड़न की घटनाओं में सबसे वीभत्स रूप पारिवारिक (घरेलू हिंसा) का है। यह हिंसा का अत्यन्त प्राचीन स्वरूप है, जिसकी जड़े बहुत गहरी

हैं। इसके इतिहास को बता पाना अत्यन्त कठिन है। अब तक इसे केवल पारिवारिक कलह के रूप में देखा जाता था, हिंसा के रूप में नहीं। सामाजिक विज्ञानियों एवं इतिहासकारों ने परिवार में होने वाली हिंसा को सामाजिक समस्या के रूप में देखा ही नहीं था। फलतः यह अदृश्य रही क्योंकि घर की चहार दीवारी के अन्दर जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे एक निजी प्रकरण समझा गया जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को एक व्यक्ति के निजी मामलों में दखल की संज्ञा दी गई।

पारिवारिक हिंसा सभी आयु, मूल, वंश, जाति और धर्म के लोगों के साथ होती है। यह विपरीत लिंग और समलिंग दोनों से सम्बन्धित हो सकती है। आर्थिक अथवा व्यावसायिक प्रस्थित घरेलू हिंसा को निर्दिष्ट नहीं करती, दुरूपयोग कर्ता और पीड़ित श्रमिक या विद्यालय के प्रोफेसर, न्यायाधीश या अभिरक्षक, चिकित्सक अथवा अर्दली, ट्रक चालक, गृह निर्माता या भण्डार लिपिक हो सकते हैं। पारिवारिक हिंसा निर्धनतम संवर्ग, अत्यधिक शौकीन भवन और सफेद अहाता पड़ोसी में भी हो सकती है।

पारिवारिक हिंसा के पीड़ितों में से लगभग 95 प्रतिशत महिलाएं है। सभी महिलाओं में से 50 प्रतिशत से अधिक अंतरंग सम्बन्धों में शारीरिक हिंसा का अनुभव करती हैं और उन महिलाओं में से 24.3 प्रतिशत के लिए प्रहार नियमित और जारी रहता है प्रत्येक 15 सेकेण्ड मे प्रहार का अपराध होता है। अधिकतर दुरूपयोग कर्ता पुरूष है। यह कुछ साक्ष्य है जो उन व्यक्तियों को इंगित करते है जो पारिवारिक हिंसा के साथ विकसित होते है और बहुधा वयस्क के रूप में दुरूपयेाग कर्ता हो जाते है।

चूँकि भारत में पारिवारिक हिंसा की प्रघटना व्यापक रूप से प्रचलित है। अतः महिलाओं को पारिवारिक हिंसा के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 'क' के अन्तर्गत उनके पति अथवा उसके सम्बन्धियों के क्रूरतापूर्ण रवैये को अपराध माना गया। किन्तु यह प्रावधान पारिवारिक हिंसा के विरूद्ध महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त नही था। अतः महिलाओं को घरेलू हिंसा से पीड़ित होने से संरक्षण प्रदान करने और समाज में घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोकने के दृष्टिकोण से अगस्त 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित हुआ जो 26 अक्टूबर 2006 से प्रभावी है। पारिवारिक हिंसा से आशय शारीरिक, यौन अथवा मनोवैज्ञानिक दुरूपयोग से है जो किसी के पति अथवा पत्नी, भागीदार अथवा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा गृहस्थी के अधीन की जाती है।

मुस्लिम समाज विघटन अधिनियम 1939 (DMMA) के अधीन क्रूर व्यवहार को हिंसा की श्रेणी में रखा गया है जिसकी परिणति बहुधा तलाक के रूप में देखने को मिलती है। उक्त अधिनियम के अधीन क्रूरता की परिभाषा में ''पत्नी को व्यवहार की क्रूरता द्वारा आदतन प्रताड़ित करना अथवा उसके जीवन को कष्टमय बनाना यद्यपि उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार न किया गया हो, बदनाम औरतों की संगत अथवा बदनाम जिन्दगी गुजारना, पत्नी को अनैतिक जीवन बिताने के लिए विवश करने का प्रयत्न करना, पत्नी की सम्पत्ति को खुर्द बुर्द करना अथवा उसे इस पर उसके कानूनी अधिकार के इस्तेमाल से रोकना तथा पत्नी को उसके धर्म का पालन करने से रोकना आदि शामिल है।''

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारिवारिक (घरेलू) हिंसा को दुरूपयोग व्यवहार का प्रतिमान माना गया है जिसके अन्तर्गत एक भागीदार भय अभित्रास और नियंत्रण के माध्यम से अन्य भागीदार को अधिशासित करने का प्रयास करता है। इसके अन्तर्गत शारीरिक दुरूपयोग, यौन दुरूपयोग, आर्थिक दुरूपयोग, सामाजिक दुरूपयोग, भावनात्मक दुरूपयोग, मनोवैज्ञानिक दुरूपयोग एवं आध्यात्मिक दुरूपयोग इत्यादि आते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पारिवारिक हिंसा का प्रकरण केवल नवविवाहिताओ को अधिक दहेज न लाने पर उत्पीड़न करने अथवा कथित स्टोव फटने के कारण आग से जल मरने आदि की घटनाओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध वह सभी प्रकार की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक हिंसा आती है। जिसका शिकार वह समाज में पुत्री, बहन, पत्नी, माँ, सास, बहू, भाभी अथवा साली की भूमिका का निर्वहन करते हुए होती है।

यदि बहू को जलाकर मारना सबसे गम्भीर प्रघटना है तो हिंसा के अन्य स्वरूप जैसे बच्चों का यौन शोषण तथा बूढ़े माँ–बाप की उपेक्षा को भी कम करके नहीं आँका जाना चाहिए। पारिवारिक हिंसा केवल एक वैधानिक समस्या ही नहीं है जिसे केवल उचित वैधानिक उपचारों के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है बल्कि यह एक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या भी है जिसको सामाजिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करके तथा महिलाओं एवं बच्चों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव से भी किया जा सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन के उद्देश्यों को निम्नवत् व्यक्त किया गया है–

1 मुस्लिमों में महिलाओं के साथ होने वाली पारिवारिक हिंसा के विभिन्न स्वरूपों को ज्ञात करना।
2. मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक,सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना।

3. चयनित क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं में पारिवारिक हिंसा के कारकों एवं अभिकर्ताओं का पता लगाना।
4. चयनित मुस्लिम महिलाओं पर घर एंव ससुराल में होने वाली हिंसा के प्रकारों को समझना एवं उनकी जाँच करना।
5. मुस्लिम महिलाओं में पारिवारिक हिंसा के उत्पीड़न से होने वाले सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक प्रभावों का विश्लेषण करना।
8. मुस्लिम महिला उत्पीड़न के संदर्भ में सरकारी एवं स्वयं सेवी महिला संगठनों की भूमिका की तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनायें

प्रस्तुत शोध कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से शोधार्थिनी ने निम्न परिकल्पनाओं का निर्माण किया है–

1. पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना के कारण मुस्लिम महिलाओं के पुरूषों के अधीन होने की संभावना।
2. मुस्लिम परिवारों में शिक्षा के अभाव के कारण महिलाओं पर हिंसा होने की संभावना है।
3. मुस्लिम परिवारों में व्याप्त बेरोजगारी एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण महिलाओं पर हिंसा होने की संभावना है।
4. मुस्लिम समाज में बहुपत्नी विवाह की मान्यता होने के कारण महिलाओं का उत्पीड़न एवं शोषण होने की संभावना है।
5. इस्लाम में तीन बार 'तलाक' बोलने मात्र से विवाह विच्छेद हो जाता है, इस कारण भी स्त्रियों पर हिंसा होने की सम्भावना है।
6. मुस्लिम समाज शिया–सुन्नी (हनफी–देवबन्दी, बरेलवी), शाफई, मालिकी, हम्बली, आदि गुटों में बँटे हुए हैं जिनकी धार्मिक मान्यताओं में अत्यधिक अन्तर होने के कारण महिलाओं पर धार्मिक संस्कारों के अनुपालन के प्रश्न पर हिंसा की संभावना है।
7. मुस्लिम महिलाओं में अशिक्षा एवं अपने कानूनी अधिकारों के प्रति अनभिज्ञता एवं उनके उत्पीड़न की संभावना अधिक है।
8. मुस्लिमों में महिलाओं के कल्याण हेतु महिला संगठनों का पूर्णतया अभाव है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक एवं अन्वेषणात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

विश्व के प्रत्येक समाज की पारिवारिक संरचना में मुख्य भूमिका महिला की होती है। कोई भी समाज तब तक प्रगतिशील व सभ्य नहीं हो सकता है जहाँ की महिलायें सम्मानजनक रूप में सुरक्षित न हो और जहाँ उन्हें अपनी योग्यता तथा कार्यकुशलता प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता न हो। महिला ही देश व समाज की वास्तविक कर्णधार हैं। यदि वही उत्पीड़ित होगी तो वह कैसे एक श्रेष्ठ देश का निर्माण कर सकेंगी।

जहाँ तक मुस्लिम समाज में महिला उत्पीड़न का प्रश्न है तो भारतीय मुस्लिम समाज भी अन्य समाजों की भांति पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक समाज की प्रत्येक बुराई यहाँ भी मौजूद है। नारी की उपेक्षा, नारी का अपमान तथा नारी पर अत्याचार यह इस समाज की नियति बन गई है। जब तक नारी उपेक्षित रहेगी तब तक कोई समाज सभ्य समाज नहीं कहला सकता। ''व खलकना–कुम अज्वाजा'' ''और हमने जोड़े–जोड़े पैदा किये'' कुरआन की यह आयत इस ओर संकेत कर रही है कि महिला एवं पुरूष एक दूसरे के पूरक है। इस्लाम में महिला एवं पुरूष के अधिकारों के मामले में कोई भेद नहीं किया गया है, जैसा कुरआन में कहा गया है– ''वलाहुन्ना मिस्लुल लजी अलैहिन्ना बिल्मारूफ़'' ''महिलाओं का अधिकार पुरूषों पर वैसा ही है जैसा कानून के अनुसार पुरूषों का महिलाओं पर।'' (कुरआन 1:228)। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं के प्रत्येक स्वरूप बहन, बेटी, माँ व पत्नी सभी आदरणीय है माँ की महत्ता का वर्णन करते हुये हदीस की किताबों में कहा गया है कि ''माँ के कदमों तले जन्नत है।'' अर्थात् यदि कोई पुण्य करके स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है तो वह माँ का भूरपूर आदर सत्कार करे। ''और माँ बाप के साथ भलाई करो।'' अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाये तो उनको उफ तक न कहना और न उन्हें झिड़कना और उनसे बात अदब के साथ करना और श्रृद्धा से उनके आगे कन्धे झुकाये रखना।'' (सूरह बनी इसाराईल आयत 23 व 24)। कुरआन के इस सन्देश के बावजूद अनेकों घटनायें ऐसी देखने व सुनने में आती हैं कि धन के लालच या प्रेम में बाधक माँ की हत्या बेटे ने कर दी।

निष्कर्ष

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज में व्याप्त अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ेपन का निराकरण, महिला सशक्तिकरण, लोगों की सोच में परिवर्तन, महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा सरकार द्वारा अधिक सार्थक एवं प्रभावी (आर्थिक एवं विधिक) प्रयास महिलाओं के लिए पारिवारिक हिंसा से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे, साथ ही महिलाओं पर होने वाले प्रत्येक अत्याचार का मुकाबला करने के लिए स्वयं महिला को आगे आना होगा। प्रताड़नाओं का विरोध तथा उत्पीड़नकर्ता के खिलाफ खुद खड़ा होना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *भान्ती राज (1995–96) ''परिवार परामर्श'' हिमांशु पब्लिकेशन्स, उदयपुर।*
2. *सेन्सस आफ इण्डिया (2001 व 2011)*

3. *भटनागर जे0पी0 (1984) ''मुस्लिम वीमेन एण्ड दियर राइट्स'' अशोका लॉ हाउस, नई दिल्ली।*
4. *क्राइम इन इण्डिया (वार्षिक रिपोर्ट 2012) नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो, भारत सरकार।*
5. *चटर्जी, मीरा (1990) ''रिपोर्ट ऑन इण्डियन वीमेन फ्रॉम बर्श टू टुअन्टी, (एन0आई0पी0सी0सी0डी0) नई दिल्ली।*
6. *देसाई, मीरा (1957) ''वीमेन इन मार्डन इण्डिया, बोरा एण्ड कम्पनी, बाम्बे।*
7. *देसाई, जी0बी0 (1945) ''वीमेन इन माडर्न गुजराती लाइफ'' मास्टर्स थीसिस, बम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई।*
8. *देसाई, नीरा एण्ड कृष्णराज (1987), ''वीमेन एण्ड सोसायटी इन इण्डिया'' अजन्ता, देहली।*